

न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक
(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

68/2011
02.02.2011

- 1-श्रीमति कान्ता देवी पत्नि रामप्रसाद जाति मीणा निवासी लुहारी तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
- 2-सूरजमल पुत्र देवीलाल जाति मीणा निवासी इन्द्रपुरा कॉलोनी अजमेर रोड तहसील देवली जिला टोंक
- 3-प्रेमदेवी पत्नि पृथ्वीराज जाति मीणा निवासी इन्द्रपुरा कॉलोनी अजमेर रोड तहसील देवली जिला टोंक
- 4-श्योंजीराम पुत्र नन्दराम जाति मीणा निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक
- 5-रुकमा देवी पत्नि श्योंजीराम जाति मीणा निवासी संथली तहसील देवली जिला टोंक

बनाम

..... प्रार्थीगण

- 1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
- 2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

- उपस्थित (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री रामधन सैनी, व श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2

निर्णय

दिनांक 23.03.2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण में ग्राम संथली तहसील देवली की भूमि ख0नं0 687 में से 2800 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 688 में से 900 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थीगण सिंचित भूमि की डीएलसी दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः अवाई 1961,1962/09 दिनांक 25.06.2010 को निरस्त कर सिंचित भूमि का मुआवजा दिलवाया जावे।



- 765 -

आरबीट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)




प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 1961,1962/09 दिनांक 25.06.2010 तलब की गई एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0न0 687,688 मे से कुल रकबा 3700 वर्गमीटर वाके ग्राम संधली मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था,परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया था,परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टर द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बा-2 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी, प्रार्थीगण की भूमि सिंचित नहीं थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2 सुनी। जवाब/लिखित का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थी की भूमि ख0न0 687,688 मे से 3700 वर्गमीटर,किस्म जमीन बा-2 वाके ग्राम संधली का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा सिंचित भूमि की डी0एल0सी0 दर से चाहा गया है,परन्तु उनके द्वारा भूमि के सिंचित होने के संबंध मे खसरा गिरदावरी तथा अन्य साक्ष्य-सबूत पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।




(चिन्मयी गोपाल)
अधीक्षक जिला कलेक्टर, टोंक-142
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)